मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त–सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 28 अगस्त, 1995 (भाद्र 6, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्री नारायण प्रसाद चौधरी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री प्रताप सिंह बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993–94 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री प्रताप सिंह बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :–

(क) क्रमांक बी–1–22 (1)–95– बाईस–पं.–2 दिनांक 14 अगस्त, 1995
(ख) क्रमांक बी–1–22 (2)–95– बाईस–पं.–2 दिनांक 14 अगस्त, 1995
(ग) क्रमांक बी–1–22 (3)–95– बाईस–पं.–2 दिनांक 14 अगस्त, 1995
(घ) क्रमांक बी–1–25–95– बाईस–पं.–2 दिनांक 14 अगस्त, 1995
(ङ.) क्रमांक बी–1–46– बाईस–पं.–2–95 दिनांक 14 अगस्त, 1995,

पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर जिले की गढ़ाकोटा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद लम्बे समय से रिक्त होने से उत्पन्न समस्याओं की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मोती कश्यप, सदस्य, जबलपुर के रांझी थानान्तर्गत नरबलि की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 113–मुंगेली के सदस्य श्री खेमसिंह बारमते को अगस्त–सितम्बर, 1995 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्रीमती जमुनादेवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 23 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी.

निर्धारित समय

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

(1) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993–94 पर चर्चा (क्रमशः).

2 घन्टे (2) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1991–92 (अनुभाग–1) पर चर्चा.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. प्रदेश में हैजा, कॉलरा एवं पीलिया रोगों से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, बनवारीलाल अग्रवाल, गोविन्द प्रसाद मिश्र, मुनीराम साहू तथा श्री रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 27 अगस्त, 1995